

मु.नं. 07/2019
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ (ए) तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 07.03.2019

बनाम
रामेश्वरलाल पुत्र बुधाराम कौम जाट निवासी चक 2 सी.एच.एम तहसील छतरगढ जिला
बीकानेर

प्रार्थी

अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ(ए) ने दिनांक 19.02.2019 को रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र बुधाराम कौम जाट निवासी चक 2 सी.एच.एम तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने चक 2 सी.एच.एम के मु.न. 143/38 के कि.न. 16=0.10, 25=0.10, कुल 1.00 बीघा अ0क0, मु0न0143/47 के कि0न001 ता 05=5.00 बीघा अ0क0, मु0न0 143/54 के कि0न0 20=0.10, 21 =0.10 कुल 1.00 बीघा अ0क0 कुल तादादी 7.00 बीघा अ0क0 भूदान भूमि कृषि सम्वत् 2075 फसल रबी में अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को दिनांक 07.03.2019 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी के पुत्र मनोज द्वारा तामिल किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 07.03.2019 को पेशी में ली गई, अप्रार्थी रामेश्वरलाल ने उपस्थित होकर जवाबमय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, कि अप्रार्थी को भूमि का सीमाज्ञान नहीं होने के कारण उक्त अतिक्रमित रकबे पर भूलवंश काशत कर ली गई है। पटवारी हल्का छतरगढ (ए) ने उपस्थित होकर अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि की एवं फर्द कुर्की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 88/-अक्षर अटठयासी रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। भू.अ.निरीक्षक छतरगढ को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कायवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/ कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार दिनांक 07.03.2019 से कम कर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र कुमार जाखड)
तहसीलदार(राजस्व)

तहसीलदार एच क छतरगढ
छतरगढ (बीकानेर)